B-314
L-24
Polity

समान नागरिक संहिता

• उत्तराखण्ड राज्य के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान की आलोचना होना स्वाभाविक है क्योंकि इस प्रावधान के बहाने राज्य को व्यक्ति की निजता में हस्तक्षेप के अवसर प्राप्त होंगे और अन्तरजातीय व अन्तरधार्मिक विवाहों को भी हतोत्साहित किया जायेगा।

• किसी भी राज्य के द्वारा निर्मित विधि का प्रभाव उस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र तक माना जाता है जबकि इस विधि में यह उल्लेखित है कि उत्तराखण्ड के वे निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर रह रहे हैं उन पर भी यह विधि लागू होगी।

• उच्चतम न्यायालय के द्वारा बाल विवाह अधिनियम के संबंध में निर्णय देते हुए यह कहा गया कि धार्मिक नागरिक संहिता के नाम पर बाल विवाह को प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा।

• समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए आजतक संसद विधि का निर्माण नहीं कर सकी क्योंकि इसके मार्ग में निम्नलिखित बाधाएं विद्यमान हैं:-

(i) अवादयोग्य और गैर-बाध्यकारी है।

(ii) प्रत्येक समुदाय को धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त है।

(iii) संविधान में जनजातीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान है।

(iv) राजनीतिक दलों के बीच भी इस मुद्दे पर असहमतियां विद्यमान हैं।

- समान नागरिक संहिता के मुद्दे को लागू करने में राजनीतिक दलों के बीच विवाद हो सकते हैं लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय देखने से यह प्रतीत होता है कि व्यवहारिक रूप में भारत में समान नागरिक संहिता लागू है, जिसका उदाहरण निम्नलिखित है -

(i) विवाह के लिए धर्मांतरण करना असंवैधानिक है। (सरला मुद्गल वाद)

(ii) तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को भी असंवैधानिक घोषित किया गया है (शायरा बानो वाद)

(iii) उच्चतम न्यायालय ने बाल विवाह के प्रतिबंध के प्रावधानों को भी नागरिक संहिता पर वरीयता दी है।

निष्कर्ष :-

भारत में समान नागरिक संहिता राजनीतिक वोट बैंक का विषय हो गया है इसलिए इसपर विवाद होना स्वाभाविक है जबकि यह मुद्दा मूलतः महिला सशक्तिकरण का है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

मूल कर्तव्य

संविधान

- अनुच्छेद 368
- 1976 ⇓ स्वर्ण सिंह समिति ⇓ 42वां संविधान संशोधन
- 2000 ⇓ NCRWC (National Commission to Review the working of the Constitution) (वेंकट चलैया आयोग)

- स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया गया था, जिसमें यह भी सुझाव दिया गया था कि नागरिकों को कर भी अदा करना चाहिए और समिति ने यह कहा था कि इन मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बना दिया जाए लेकिन मूल कर्तव्यों को अवादयोग्य और गैर बाध्यकारी ही बनाया गया।
- मूल कर्तव्यों के प्रावधान सोवियत संघ, चीन जैसे समाजवादी देशों में विद्यमान होते हैं। जापान उन चुनिंदा उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में शामिल है जिसके संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान है।
- उदारवादी लोकतांत्रिक राज्यों में सरकार को सीमित रखने का प्रयास किया जाता है इसीलिए कर्तव्य के बजाय अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

• भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य सरकार के प्रति नहीं है अपितु राष्ट्र एवं समाज के प्रति है।

मूल अधिकार और मूल कर्तव्य

• गांधी का प्रसिद्ध कथन है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों के लिए कभी संघर्ष नहीं होगा।

• नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है जिसका अभिप्राय है कि किसी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि यह मूल कर्तव्यों के विरुद्ध है और न ही मूल कर्तव्यों को लागू करवाने के लिए न्यायालय कोई आदेश देगा।

• व्यवहारिक रूप में मूल कर्तव्यों से मूल अधिकार सीमित होते हैं उदाहरण के लिए किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता को न्यायालय सीमित कर देगा, यदि नागरिक के द्वारा तिरंगे को जलाया गया है।

• इससे यह प्रतीत होता है कि मूल अधिकारों पर भारत में निम्नलिखित प्रकार के प्रतिबंध आरोपित हैं-

(i) मूल अधिकार के भाग में प्रतिबंध।

(ii) निदेशक तत्वों का प्रतिबंध।

(iii) मूल कर्तव्यों का प्रतिबन्ध।

(iv) आपातकाल के दौरान लगाए गए प्रतिबंध।

मूल कर्तव्य सैद्धांतिक रूप में अप्रयोज्य लेकिन व्यवहारिक रूप में प्रयोज्य :-

---

1. भारत में मूल कर्तव्य का उल्लंघन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी न किसी विधि का उल्लंघन हो जाता है, इसीलिए मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दण्ड प्राप्त होने की निर्णायक संभाव्यता होती है।

2. मूल कर्तव्यों की प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हुए वेंकट चलैया आयोग के द्वारा यह अनुशंसा की गयी कि भाग IV (A) में कुछ नए मूल कर्तव्यों को जोड़ने की आवश्यकता है जिसमें अनिवार्य मतदान भी शामिल है।

मूल कर्तव्य और संवैधानिक नैतिकता

- मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए जस्टिस जी० एस० वर्मा आयोग का भी गठन किया गया।

जिन्होंने यह सुझाव दिया कि सार्वजनिक पदों पर बैठे उच्च पदाधिकारी को नैतिक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।

- चुनाव सुधार के लिए भारत में विधेयकों के निर्माण की आवश्यकता है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।
- सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देकर राज्य व सरकार के संचालन आम जनता के हित में होना चाहिए।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR